



केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्
CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

आयुष मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन विधिक निकाय
A Statutory Body under Ministry of AYUSH, Govt. of India
Jawahar Lal Nehru Bhartiya Chikitsa Avum Homoeopathy Anusandhan Bhavan
No.61-65, Institutional Area, Opp. 'D' Block, Janakpuri, New Delhi-110 058.

स्पीड पोस्ट

Phone: (Direct) 28525582,
28520607

Fax: 011- 28520691

E-mail: cchindia123@yahoo.com
Website: www.cchindia.com

क.सं.10-22/2017-के.हो.प./ 31299-31297

दिनांक:

सेवा में,

14 MAR 2018

(भंलग्न लिस्ट के अनुसार)

विषय :- परिषद् की फोटोस्टेट मशीन कैमन आई आर एडवॉंस 4245 की कम्प्रेहेंसिव ए.एम.सी. आषत् निविदा ।

महोदय,

इस परिषद् ने एक फोटोस्टेट मशीन कैमन आई आर एडवॉंस 4245 दिनांक 08.05.2017 को खरीदी गई है जो कि 07.05.2018 तक वारंटी में है, की कम्प्रेहेंसिव ए.एम.सी. आषत् तीन वर्ष हेतु निविदा आमंत्रित करती हैं। प्रस्तावित बेट रख-रखाव (कम्प्रेहेंसिव) आषत् होने चाहिए जिसमें सभी पार्ट सम्मिलित हो (इंक कार्टेज छोड़कर)।

इच्छुक फर्म अपनी निविदा मुहरबन्द लिफाफे में लिफाफे के आहर "फोटोस्टेट मशीन कैमन आई आर एडवॉंस 4245 की कम्प्रेहेंसिव ए.एम.सी. आषत् निविदा" चिह्नित करते हुए, जो कि इस परिषद् के सचिव को सम्बोधित हो दिनांक 05.04.2018 तक भेजी जा सकती हैं। उपकरण का निरीक्षण दिनांक 15.03.2018, 11:00 से 13:00 बजे के बीच दिनांक 23.03.2018 तक (किभी भी कार्यदिवस में) किया जा सकता है। निविदाओं के साथ रूपये 5000/- का डिमांड ड्राफ्ट ई.एम.डी. के रूप में "केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्" के नाम दिल्ली में देय साथ में भंलग्न हों, जिसे फर्मों को कार्य के आवंटन के बाद बिना ख्याज के लौटा दिया जाएगा। प्राप्त निविदाएं दिनांक 06.04.2018 को साँय 3:30 बजे खोली जाएंगी।

नियम एवं शर्तें

1. सफल फर्म को दिये गये कार्य की लागत की 10 % राशि सुरक्षा के रूप में फर्म को परिषद् में जमा करानी होगी।
2. भुगतान तिमाही आधार पर किया जाएगा और फर्म के बैंक खाते में ट्रान्स्फर किया जाएगा, बैंक खाता फर्म के नाम से होना चाहिए और खाते की जानकारी निविदा के साथ भंलग्न की जानी चाहिए।
3. पुराना सामान/पार्ट (जो बदला जाएगा) वह केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् की संपत्ति होगी।

P.T.O.

4. कृपया फोटोस्टेट मशीन के पार्ट तथा ईक के बेट भी अलग-अलग इंगित करें।
5. सुरक्षा राशि ए.एम.सी. के अनुबन्ध समाप्त होने के बाद फर्म को बिना ध्याज के लौटा दी जाएगी।
6. शिकायत का निवारण 24 घण्टों में होना चाहिए, अगर फर्म इसमें अक्षम होती है तो उसे पहले में रेटेंड आई सिस्टम उपलब्ध कराना होगा।
7. यदि शिकायत 48 घण्टों के अन्दर सुलझाई नहीं जाती तो, रुपये 100.00 प्रति दिन के हिसाब से फर्म पर जुर्माना लगाया जाएगा जिसे सुरक्षा राशि/बिल से काटा जाएगा।
8. बेट एवं अनुबन्ध अधिकतम तीन वर्ष की अवधि के लिए मान्य होंगे।
9. यह फर्म की जिम्मेदारी होगी की फोटोस्टेट मशीन अनुबन्ध के दौरान चालू रहें।
10. अन्तिम तिमाही का भुगतान ए.एम.सी. का कार्य देख रही फर्म की रिपोर्ट कि उपकरण अभी कार्य कर रहा है एवं परिषद को भौंप दिया गया है कि संतोषजनक लिखित रिपोर्ट के आधार पर किया जाएगा।
11. केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद या कम्पनी जिसे कार्य दिया गया है, अनुबन्ध को 30 दिनों के अग्रिम नोटिस के साथ समाप्त कर सकती हैं। यदि फर्म की सेवाएँ संतोषजनक नहीं पाई गईं या फर्म अनुबन्ध के दौरान नियम एवं शर्तों के अनुसार सेवाएँ नहीं देती है तो यह परिषद सुरक्षा राशि जप्त करने तथा अनुबन्ध को बिना किसी नोटिस के रद्द करने का अधिकार सुरक्षित रखती हैं।

भवदीय,

h
1/12/18

(यज्ञदत्त पत्रा)

सहायक सचिव (प्रशा. एवं पंजी.)

✓ प्रतिलिपि :- वेबसाइट, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद ।